

बच्चों की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा में विद्यालय मुखिया की भूमिका पर एक मॉड्यूल



National Centre for School Leadership



विद्यालय नेतृत्व अकादमी
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, हरियाणा

गुरुग्राम – 122001

School Leadership Academy

State Council of Educational Research & Training, Haryana, Gurugram

122001

बच्चों की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा में विद्यालय मुखिया की भूमिका

श्री सुरेश पाल*

भूमिका

भारत विश्व में सबसे अधिक (लगभग 48 करोड़) बच्चों की जनसंख्या होने पर गर्व करता है। भारत में अठारह वर्ष की उम्र से कम जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 40 है, जिसे बच्चों की श्रेणी में रखा गया है।

बच्चे किसी राष्ट्र की सबसे कीमती सम्पत्ति माने जाते हैं। किसी देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है। बच्चे ही आगे चलकर अच्छे नागरिक व राष्ट्र निर्माता बनते हैं। बच्चे अबोध, निर्दोष, विश्वसनीय, मासूम व आशाओं से परिपूर्ण होते हैं। वे सत्य, अहिंसा व मानवता के पुजारी होते हैं। वे राग-द्वेष से ग्रस्त नहीं होते उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं होता।

उद्देश्य.1

विद्यालय
मुखिया यौन
उत्पीड़न से
बच्चों की
सुरक्षा के
लिए योजना
बना सकेंगे।

उद्देश्य.2

विद्यालय
मुखिया यौन
सुरक्षा के बारे
अध्यापकों
बच्चों व
अभिभावकों
को जागरूक
कर सकेंगे।

उद्देश्य.3

मुखिया,
अभिभावक,
अध्यापक व
बच्चे यौन
उत्पीड़न से
रोकथाम
संबंधी कानूनों
जैसे
(POCSO)
आदि कानूनों
के बारे में
जागरूक
होंगे।

उद्देश्य.4

सभी
पण्धारियों
(Stake
holders)
यथा—मुखिया
शिक्षक वृंद,
अभिभावकों,
बच्चों व
समाज में
परस्पर
सहयोग की
भावना का
विकास होगा।

उद्देश्य.5

बच्चे सोशल
मीडिया के
खतरों से बच
सकेंगे।

उद्देश्य.6

सभी stake
holders को
बच्चों की
सुरक्षा से
संबंधित
संस्थाओं की
जानकारी
प्राप्त हो
सकेंगी।

वे सहज ही किसी अन्जान व्यक्ति पर भी विश्वास कर लेते हैं। इसी मासूमियत के कारण कई बार उन्हें भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम प्रौढ़ अपने जीवन में जाने अनजाने बहुत सी गलतियां करते हैं, पर सबसे बड़ी गलती बच्चों की सुरक्षा का ध्यान न रखना है। जन्म से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक बच्चों में अनेक शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं अतः हम सब का दायित्व है कि बच्चों में होने वाले इन परिवर्तनों के दृष्टिगत, उनकी हर तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि वे देश के जिम्मेदार व सम्मानित नागरिक बन सके। विश्व के सभ्यता देशों ने इस सुरक्षा को बाल अधिकार के नाम से परिभाषित किया है।

बाल अधिकार व बाल सुरक्षा के क्षेत्र बाल अधिकार सरक्षण को लेकर

संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) ने सन् 1989 में एक सम्मेलन का आयोजन किया था जिसे भारत ने भी सन् 1992 में अंगीकृत कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकारों को चार भागों में वर्गीकृत किया था; नामतः 1) जीवन का अधिकार 2) विकास का अधिकार 3) सुरक्षा का अधिकार 4) सहभागिता का अधिकार।



उनमें सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा का अधिकार है। बच्चे को किसी प्रकार की भी शारीरिक, मानसिक

व भावनात्मक क्षति से सुरक्षा प्रदान करना ही सुरक्षा का अधिकार है। उपयुक्त सभी प्रकार की सुरक्षा के प्रति बच्चों को जागृत करना यूं तो माता-पिता व समाज का दायित्व बनता है, लेकिन शैक्षिक संस्थानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान परिपेक्ष्य में शैक्षिक संस्थानों में बच्चों को यौन उत्पीड़न के प्रति जागृत करके सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस कार्य में वैसे तो सभी शिक्षक वर्ग का सहयोग अपेक्षित है, लेकिन शैक्षिक संस्थान के मुखिया का विशेष उत्तरदायित्व है।

यौन उत्पीड़न क्या है?

यौन सुख की प्राप्ति के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे से उसकी सहमति या सहमति के बिना भी कामुक आचरण करना यौन उत्पीड़न कहलाता है।

यौन उत्पीड़न में शामिल कृत्य

यौन उत्पीड़न में बच्चे को यौन प्रवृत्ति के साथ चूमना, गुप्तांगों का स्पर्श करना या करवाना, गुप्तांगों, मुख, गुदा या शरीर के किसी भी छिद्र में कोई वस्तु या अंग का प्रविष्ट करना, बच्चे को कामुकता से देखना या ईशारे करना, नग्नावस्था में देखना और उसे कोई अश्लील चीज़ देखने-पढ़ने के लिए बाध्य करना आदि शामिल हैं।

यौन उत्पीड़न के संभावित स्थान

बच्चों के यौन उत्पीड़न की घटनाएं बहुत सामान्य हैं। यदि हम अपने बचपन को याद करें तो पाएंगे कि हमसे से बहुतों का भी बचपन में किसी-न-किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न हुआ है। ऐसी घटनाएं हमारे घरों, स्कूल, मन्दिरों, चर्चों, गुरुद्वारों, मस्जिदों, किरयाने व मोबाइल चार्ज की दुकानों, सिनेमा हॉल, पार्कों, मॉल, बस-ट्रेन, टेम्पो, ट्रॉयूशन-कोचिंग सेंटरों, रेस्टरां, स्कूल आते-जाते, रिश्तेदारों के घर, मित्रों के घर, आस-पड़ोस, फेसबुक, सोशल मीडिया, शादी-समारोह, जागरण, होस्टल, खेल के मैदान, यात्रा आदि जगहों पर घटती है। अक्सर डेलीवरी बॉय व दूध वाले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं।

यौन उत्पीड़न के चरण

बच्चों का यौन उत्पीड़न यौन अपराधी द्वारा एक सुनियोजित प्रक्रिया के तहत किया जाता है।

ACTIVITY-(I)


14 वर्ष की रोशनी एक होनहार व सुंदर लड़की एक गांव में रहती थी। पड़ोस में किरयाने की दूकान से अक्सर घर की जरूरतों का सामान लेने रोशनी के माँ उसे ही भेजती थी। दुकानदार उनके घर आता-जाता था। लड़की के माँ-बाप उस पर विश्वास करते थे। घर में कोई कार्यक्रम होता तो वह बढ़-चढ़कर सहयोग करता। रोशनी को वह कभी-कभी चॉकलेट व अन्य खाने की वस्तुएँ दे देता था तथा पैसे नहीं लेता था। एक दिन दुकानदार ने रोशनी को अकेला पाकर दुर्घट्या किया तथा विडियो सार्वजनिक कर दूंगा। इस कारण न चाहते हुए भी वह उत्पीड़ित होती रही और गर्भवती हो गयी। पेट दर्द होने पर डाक्टर द्वारा गर्भवती होने का पता लगने पर दुकानदार की गिरफतारी हुई और उसे नियमानुसार सजा हुई।

आईये विचार करें :

1. इस घटना में आप किस-किस को जिम्मेदार मानते हैं।
2. विद्यालय मुखिया की भूमिका इस घटना को रोकने के लिए अहम हो सकती थी।
3. इस घटना के बाद विद्यालय मुखिया क्या करें कि भविष्य में इस तरह की घटना अन्य बच्चों के साथ न घटें।

बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं को अक्सर उनके करीबी / जान-पहचान, विश्वासी व जिम्मेदार व्यक्ति ही अंजाम देते हैं। इसलिए यह आवश्यक है, बच्चों को इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

1) प्रारम्भिक सम्पर्क : यौन उत्पीड़न के सम्भावित क्षेत्र में जिन स्थानों का वर्णन किया है, अपराधी उन स्थानों पर बच्चे से संपर्क करता है।



2) **विश्वास जीतना** : अपराधी बच्चे का विश्वास जीतने के लिए भाई या पड़ोसी को दोस्त तथा माता-पिता से पहचान बनाता है तथा जन्मदिन आदि समारेह में सहयोग करता है, गिफ्ट आदि देता है। घर के सदस्यों से घुलता-मिलता है। बच्चे को ट्यूशन के लिए या स्कूल लाने-ले जाने में मदद करता है।

3) दोस्ती का प्रस्ताव : बच्चे व परिवार का विश्वास जीतने के बाद यौन अपराधी दोस्ती का प्रस्ताव रखता है तथा दोस्त बनकर भावनात्मक बातें, मौज—मस्ती की बातें, हंसी—मजाक करता है। किशोरावस्था में यह बातें अच्छी लगती है। इस उम्र में एक तरफ मां—बाप की डांट—फटकार तो दूसरी तरफ मौज—मस्ती की बातें और विपरीत लिंग का आकर्षण यौन अपराधी को अनुकूल माहौल प्रदान करता है। इस दौरान अपराधी अश्लील फोटो अश्लील बातें, अश्लील पोस्ट भेजकर बच्चे की प्रतिक्रिया लेता है। कई बार प्रेम—विवाह की कहानियाँ

सुनाकर भी प्रतिक्रिया लेता है।

4) बच्चे का पृथक्करण : इस चरण में यौन अपराधी बच्चे को ट्यूशन के बहाने, जन्मदिन मनाने के बहाने, अतिरिक्त कक्षा के बहाने, मन्दिर जाने के बहाने ऐसी जगह ले जाता है, जहां कोई जानकार न हो। अकेले में भावुकतावश बच्चा अपने घर की सारी बातें उससे साझा करता है। फोटो, सेल्फी लेकर बच्चे को इतना प्रभावित कर लेता है कि बच्चे को लगता है उसके सिवाय अन्य कोई उसे प्यार नहीं करता, यहां तक की माता-पिता भी नहीं। इस स्थिति में बच्चा घर में अलग-अलग सा रहने लगता है। घर में कोई सम्बन्धी, मां-बाप का जानकार आये, तो बच्चा अलग कमरे में चला जाता है।

5) मित्रता को यौन संबंधों में परिवर्तित करना : इस चरण में यौन अपराधी दोस्ती को यौन सम्बन्धों में परिवर्तित कर देता है, बच्चा ऐसे सम्बन्ध को प्रेम-प्यार की घटना समझता है और उसे छुपाता है। एक बार सम्बन्ध बनाने में सफल होने पर यौन अपराधी बार-बार सम्बन्ध बनाता है और कुछ फोटो ले लेता है या वीडियो भी बना लेता है।

6) भयादोहन (Black mailing) : यौन सम्बन्ध बनाने के बाद यौन अपराधी बच्चे को यह कहकर डराता है कि उसकी फोटो, सूचनाएं वह सोशल मीडिया व उसके माता-पिता व जानकारों के साथ साझा कर देगा। धीरे-धीरे बच्चा दबाव में आकर उसकी सभी बातें स्वीकार करने लगता है। यहां तक कई बार यौन अपराधी शादी का दबाव तक बनाता है और बच्चा घर से भाग जाता है। कई बार यौन अपराधी द्वारा भयादोहन के कारण बच्चा, भाई व माता-पिता पर ही यौन अपराध का आरोप लगा देता है।

यौन उत्पीड़न का दुष्प्रभाव

यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चे, उत्कंठा, तनाव, नशे की लत, आत्महत्या, अवसाद, यौन विकार, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन आदि के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में, बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं।

ACTIVITY-II

15 वर्ष की अनु विधवा माँ की इकलौती लड़की थी। माँ सुबह शाम तक एक फैक्टरी में काम करती थी। वह बहुत प्रतिभाशाली छात्रा थी तथा स्कूल की गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेती थी। सभी शिक्षक उसे प्यार करते थे। एक बार उसका चयन नेशनल कराटे चैम्पियनशिप प्रतियोगिता के लिए हुआ जिस कारण उसे दूसरे शहर में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाना पड़ा। पिता न होने के कारण माँ ने लड़की के साथ चाचा को भेजा। शहर में चाचा ने अनु के साथ गलत कार्य किया इसके बाद अनु लगातार चाचा के उत्पीड़न का शिकार होती गई। वह इस अपराध का विरोध करने का साहस नहीं कर पायी क्योंकि चाचा ने उसे इतना डरा रखा था कि अगर उसने अपनी माँ को इसके कुकूत्य के बारे बताया तो वह उसकी माँ की हत्या कर देगा।

आईये विचार करें

- 1) क्या इस घटना को रोका जा सकता था?
- 2) अनु को इस उत्पीड़न से बचने के लिए क्या करना चाहिए था ?
- 3) यह घटना न घटती इसके लिए विद्यालय मुखिया को क्या करना चाहिए था?
- 4) इस तरह की घटना ना घटे इस बारे मुखिया की क्या भूमिका हो सकती है?
- 5) क्या यौन उत्पीड़न केवल लड़कियों का ही होता है।

अक्सर चुपचाप व शांत रहने लगते हैं। स्कूल न जाने व काम न करने से बचने के लिए तरह-तरह के बहाने बनाते हैं।

यौन उत्पीड़न से सुरक्षा सम्बन्धी विशेष कानून: POCSO, 2012

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

द्वारा वर्ष 2007 में आयोजित किए गए एक सर्वेक्षण से जानकारी प्राप्त हुई कि 53.22 प्रतिशत बच्चे एकाधिक प्रकार के यौन उत्पीड़न के शिकार हुए जबकि 21.90 प्रतिशत कठोर व भयावह यौन शोषण के शिकार हुए। कुल उत्पीड़ित बच्चों में से केवल 5.69 प्रतिशत बच्चों ने ही शिकायत की। महिला व बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा किये गए सर्वे में पाया गया कि बच्चों की यौन उत्पीड़न की 97 प्रतिशत घटनाओं में उनके परिचित ही संलिप्त थे। इनमें नौकर, ड्राइवर, डॉक्टर, रिश्तेदार, माली, दूधवाला, दुकानदार, पड़ोसी, शिक्षक, पिता, भाई का दोस्त आदि शामिल थे।

बच्चों के प्रति यौन अपराधों की रोकथाम व ऐसे अपराधों से निपटने के लिए “लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012” विशेष कानून बनाया गया है। इससे सामान्यतः **Protection of Child from Sexual Offence Act, 2012 (POCSO)** के नाम से जाना जाता है। यह कानून 14 नवम्बर, 2012 को प्रभाव में आया था।

यह कानून 14 नवम्बर, 2012 को प्रभाव में आया था। इस अधिनियम में एक ऐसी बाल-सुलभ प्रणाली का प्रावधान किया गया है, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया के हर स्तर पर बच्चों के हित को सर्वोपरि रखा जाता है। इसमें रिपोर्ट, अनुसंधान, गवाही व शीघ्रता से विशेष अदालत द्वारा मामले की सुनवाई के लिए अनुकूल प्रावधान है। इस अधिनियम में 9 अध्याय व 46 धाराएं हैं। POCSO अधिनियम में सात प्रकार के यौन अपराधों व तीन प्रकार के गैर-यौन अपराधों की पहचान की गई है। इन अपराधों का संक्षिप्त विवरण है—

बाल अधिकार
संरक्षण के क्षेत्र
में कार्यरत
संस्थाएँ

राष्ट्रीय बाल
अधिकार संरक्षण
आयोग (NCPCR)

राज्य बाल
अधिकार संरक्षण
(SCPCR)

जिला बाल
संरक्षण इकाई
(DUPU)

जिला बाल
कल्याण समिति
(CWC)

किशोर न्याय
बोर्ड (JJB)

स्पेशल जुवेनाइल
पुलिस यूनिट
(SJPU)

1. प्रवेशन लैंगिक हमला

(Panitrative Sexual Assault) :

कानून की धारा 3 में उल्लेख है कि बच्चे के शरीर के किसी छिद्र में लिंग प्रवेश, योनि, मूत्रमार्ग, गुदा में किसी वस्तु की प्रविष्टि के लिए बच्चे के शरीर से छेड़छाड़ या मुंह से स्पर्श आदि प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाता है। इसके लिए कम-से-कम 10 वर्ष की सजा एवं अधिकतम आजीवन कारावास की व्यवस्था है तथा साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि उत्पीड़ित बच्चा 16 वर्ष से कम उम्र का हो तो कम-से-कम 20 वर्ष की सजा व अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

2. गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला

(Agravated Panitrative

Sexual Assault): कानून की धारा 5 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि यौन उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति पुलिस अधिकारी, लोकसेवक, जेल, अस्पताल या स्कूल का स्टाफ आदि हो या शारिरिक रूप से अक्षम बच्चे या 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे का यौन उत्पीड़न या कोई जिम्मेदार व्यक्ति ही शोषण कर्ता हो तो प्रवेशन लैंगिक हमला ही गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला बन जाता है। इसके लिए कम-से-कम 20 वर्ष की सजा तथा अधिकतम आजीवन कारावास व जुर्माने का प्रावधान है।

3. लैंगिक हमला (Sexual Assault):

अधिनियम की धारा 7 में व्यवस्था है कि यौन उत्पीड़न के इरादे से बच्चे के लिंग, योनि, गुदा या स्तन का स्पर्श या अपने व किसी अन्य व्यक्ति के योनि, लिंग, गुदा, स्तन को बच्चे से स्पर्श करवाना लैंगिक हमले की श्रेणी में आएगा। इसके लिए कम-से-कम 3 वर्ष व अधिकतम 5 वर्ष का कारावास व जुर्माने का प्रावधान है।

यह भी अवश्य करें

1. शिक्षकों व अभिभावकों को सलाह दे कि वे बच्चों की बातें ध्यान से सुनें, उन्हें कहानी सुनाए ताकि बच्चों के साथ आत्मनिर्भता बढ़े तथा यदि बच्चे यौन उत्पीड़न के बारे में बताएँ तो प्रथम दृष्टमा उनकी ही गलती न समझें। बच्चों की बात को गम्भीरता से लेते हुए उनके साथ भावनात्मक रिश्ता मज़बूत करें। इससे वे अपने साथ होने वाली किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी निःसंकोच दे सकेंगे।
2. अभिभावकों को विशेष रूप से सलाह दें कि वे बच्चों के दोस्तों के बारे में जानकारी रखें। बच्चों को भी सलाह दे कि वे किसी अन्जान व्यक्ति को मित्र न बनाएँ न हो उनसे कोई गिफ्ट लें। तथा बनाएँ गये मित्रों की जानकारी अपने माता-पिता को अवश्य दें।
3. उन स्थानों की सूची बनाएँ जहाँ बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना सम्भावित है तथा अभिभावकों व शिक्षकों को इस बारे जागरूक करें।
4. बच्चों के अधिकारों के संरक्षण एवम् उनके कल्याण के कार्य में लगी संस्थाओं की सूची बनाकर प्रमुख स्थानों पर लगवाएँ। संस्थाओं के सम्पर्क नम्बर भी प्रदर्शित करें।
5. अभिभावकों को इंटरनेट के खतरों के बारे में जानकारी दें ताकि अभिभावक उस समय निगरानी रख सके जब बच्चा इंटरनेट का प्रयोग कर रहा हो।
6. बच्चों को भारतीय संस्कृति के शाश्वत समाजिक मूल्यों की शिक्षा दें। मूल्य व नैतिकता भी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते हैं।
7. यदि विद्यालय में कोई निर्माण कार्य चल रहा हो या पलम्बर ईलेक्ट्रिशियन से सम्बन्धित कार्य चल रहा हो तो सुनिश्चित करें कि बच्चे सम्बन्धित कर्मियों के सम्पर्क में न आए।

4. **गुरुत्तर लैंगिक हमला (Aggravated Sexual Assault):-** कानून की धारा 9 के अनुसार लैंगिक हमला गुरुत्तर लैंगिक हमले की श्रेणी में तब आ जाता है जब यौन अपराधी गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला करने वाला व्यक्ति ही है तो इसके लिए कम से कम 5 वर्ष व अधिकतम 7 वर्ष के कारावास व जुर्माने का प्रावधान है।
5. **यौन प्रताड़ना (Sexual Harrasment):-** पॉक्सो अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति यौन इरादे से बच्चे का लगातार पीछा करें, अश्लील चित्र दिखाए, अश्लील शब्द, ध्वनि व ईशारा करें, या शरीर का कोई हिस्सा दिखाए, यौन उत्पीड़न के उद्देश्य से बच्चे को बहकाए या लालच दे, तो यह स्थिति यौन प्रताड़ना की श्रेणी में आती है इसके लिए 3 साल तक के कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है।
6. **अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चे का उपयोग करना (Use of child pornographic purpose) :** कानून की धारा 13 के अनुसार, अपराध तब माना जाता है जब यौन संतुष्टि के प्रयोजन के लिए बच्चे का किसी भी रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे— बच्चे के लैंगिक अंगों का प्रदर्शन, असली या नकली यौन कृत्यों के लिए बच्चे का उपयोग, व बच्चे की अभद्र व अश्लील प्रस्तुति आदि। इसके लिए 5 साल तक की सजा जो 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है का प्रावधान है।
7. **बच्चों से सम्बन्धित अश्लील सामग्री का भण्डारण (Storage of pornographic material involving child) :-** कानून की धारा 15 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भी रूप में वाणिज्य के लिए बाल—सम्बन्धी अश्लील सामग्री का भण्डारण करता है, तो यह भी दण्डनीय अपराध है। इसके लिए तीन साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान है।
8. **रिपोर्ट दर्ज करवाने में विफलता पर दण्ड**
पॉक्सो अधिनियम की धारा 21 के अनुसार रिपोर्ट दर्ज न करवाने की स्थिति में छह महीने की सजा या जुर्माना अथवा दोनों सजाएं दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी संस्था, स्कूल आदि का प्रभारी है तो उसके लिए एक वर्ष की सजा व जुर्माने का प्रावधान है।

विद्यालय मुखिया के कर्तव्य

बच्चे सबसे ज्यादा समय स्कूल में बिताते हैं तथा सबसे ज्यादा संवाद भी अध्यापकों के साथ ही होता है। कोई भी अभिभावक अपने बच्चों के साथ छह घण्टे संवाद नहीं करता है। अभिभावकों की भूमिका प्रायः गृहकार्य, या उनकी दैनिक जरूरतों की पूर्ति तक ही सीमित रहती है। इसलिए विद्यालय मुखिया की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह यौन उत्पीड़न के हर संभावित खतरे के प्रति

Must Watch
Your
responsibility
regarding Child
Safety and
Security

जागरूकता फैलाने के लिए अध्यापकों, अभिभावकों व समुदाय के सहयोग से योजना बनाकर कार्य करे। इसके लिए उसे निम्नलिखित बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

यौन उत्पीड़न सुरक्षा समिति का गठन

समिति में प्रतिबद्ध, जिम्मेदार व सम्मानित नागरिक, अभिभावक तथा अध्यापक शामिल है। लड़के व लड़कियों के लिए अलग—अलग समितियों का गठन किया जाए। लड़कियों के लिए समिति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कक्षा 6–8 तथा 9–12 के लिए अलग—अलग समिति बनाएं।

विद्यालय में यौन उत्पीड़न सुरक्षा समिति निम्नलिखित भूमिकाओं का निर्वहन कर सकती है—

1. समय—समय पर बैठक करके बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं के बारे में चर्चा करें तथा उन घटनाओं के प्रति बच्चों को जागरूक करने की योजना बनाएं। पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करें।
2. समय—समय पर माता—पिता, बच्चों तथा समाज को यौन उत्पीड़न के सम्बन्धित खतरों

विद्यालय मुखिया के लिए विचारणीय

1. क्या बच्चों को उनकी सुरक्षा के बारे में जानकारी देना मेरा नैतिक दायित्व है।
2. क्या मैं बच्चों के दोस्त एवम् मार्ग दर्शक के रूप में कार्य करता हूँ।
3. क्या मैं बच्चों के अधिकारों व यौन उत्पीड़न से सुरक्षा विषयों पर शिक्षकों, अभिभावकों व समाज के अग्रणी लोगों से चर्चा करता हूँ।
4. क्या मैं स्कूल छोड़ने वाले (Drop Out) अनियमित रूप से स्कूल आने वाले (Irregular), सुस्त रहने वाले, पढ़ाई में कमज़ोर व अत्यधिक शरारत करने वाले बच्चों की सूची बनवाकर सम्बन्धित अभिभावकों से सम्पर्क करता हूँ और आवश्यकतानुसार उन्हें परामर्शदाता (Counsellor) उपलब्ध करवाता हूँ?
5. क्या मैं बच्चों को कहानी, लघु नाटिका, चित्रकला (Painting) व भाषण द्वारा उनके जीवन में आ रही समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ?
6. क्या मैं स्कूल, लगने व छूट्टी के समय स्कूल के मुख्य द्वार पर अध्यापकों को अजनबी (अपराधी तत्वों) पर पैनी नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपता हूँ?
7. क्या मैं (POCSO Act-2012, J.J. Act-2015) व बच्चों की सुरक्षा से सम्बन्धित संस्थाओं जैसे— चाइल्ड हेल्प लाइन, जिला बाल सुरक्षा इकाइ, जिला बाल कल्याण समिति तथा राज्य व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आदि की जानकारी रखता हूँ।
8. क्या मैं प्रत्येक बच्चे को पहचान पत्र जारी करता हूँ जिसमें अभिभावक का फोन नं. व पता लिखा हो?
9. क्या मैं अभिभावक व आगन्तुक पंजी (Visitor register) का समय—समय पर निरीक्षण करता हूँ?
10. क्या मैं स्कूल समय के बाद किसी कार्यक्रम की तैयारी में जुटे या खेलों का अभ्यास करने वाले बच्चों की देखभाल के लिए किसी जिम्मेदार अध्यापक को दायित्व सौंपता हूँ और यह सुनिश्चित करता हूँ कि सभी बच्चे समय पर घर पहुँचें रह जाएं।
11. क्या मैं सुझाव व शिकायत पेटिका को नियमित रूप से खोलकर उसमें पाई गई बच्चों की शिकायतों का तत्परता से निवारण करता हूँ?
12. क्या मैंने यह सुनिश्चित किया है कि मेरे विद्यालय में लड़के व लड़कियों के लिए अलग—अलग शौचालय हैं तथा ये विद्यालय प्रांगण में किसी सुनसान जगह पर तो नहीं बने हैं।
13. क्या मैं इतना सहज, संवेदनशील व विश्वसनीय हूँ कि बच्चों अपने साथ घटित किसी अनहोनी की जानकारी मुझे निःसंकोच दे सकें?

से अवगत कराएं। यह जानकारी विभिन्न बैठकों के दौरान जैसे की ग्राम सभा, किसानों की बैठक, सामाजिक, कार्यक्रमों, अध्यापक-अभिभावक संघ की बैठकों तथा विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकों के माध्यम से साझा करें।

3. माता-पिता एवं यौन उत्पीड़न सुरक्षा समिति के सदस्य बच्चों के साथ आत्मिक व वात्सल्य पूर्ण व्यवहार करें जिससे की बच्चे निःसंकोच अपनी समस्याएं उनके सामने रख सकें।
4. विद्यालय में शिकायत, सुझाव पेटिका की व्यवस्था हो ताकि बच्चे अपने मन की बात से समिति को अवगत करा सकें। पेटिका विद्यालय मुखिया या उसके द्वारा नामित किसी जिम्मेदार शिक्षक की उपस्थिति में खोली जायें।
5. यौन उत्पीड़न की घटना के बारे में जानकारी होने पर बच्चे को फटकारें नहीं। ऐसी स्थिति में प्राय बच्चों को दोषी मानकर प्रताड़ित कर दिया जाता है। बच्चे की निजी जानकारी गुप्त रखें। धर्म, जाति, लिंग, रंग व सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर पक्षपात न करें। बच्चे को भरोसा दिलाएं कि इस स्थिति के लिए वह जिम्मेदार नहीं है।
6. यौन उत्पीड़न की शिकायत पर उचित कार्यवाही करें तथा बच्चे के माँ-बाप को भी शिकायत से अवगत कराएं व कानून का सहारा लेने से हिचकिचाएँ नहीं।
7. सदैव ऐसा निर्णय ले जो बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ हो।
8. बच्चों के यौन उत्पीड़न में संलिप्त जिनको दंडित किया गया हो उनके बारे में अभिभावकों को अवगत कराएं।
9. बच्चों की बात ध्यान से सुने व उनके विचारों व इच्छाओं को गम्भीरता से ले।
10. विद्यालय का मुखिया कक्षा प्रभारियों से सुस्त, शरारती व पढ़ाई में कमजोर बच्चों की सूचि बनाकर उनकी मंत्रणा योग्य परामर्शदाता से कराएं।
11. यौन उत्पीड़न के सम्बावित खतरों व घटनाओं की जानकारी देने के लिए समय-समय पर अध्यापकों, अभिभावकों के सेमिनार आयोजित किये जाएं तथा बच्चों को अनुचित स्पर्श की जानकारी दी जाये।
12. सोशल मीडिया व मोबाईल के माध्यम से बच्चों का यौन उत्पीड़न कैसे होता है इसकी जानकारी भी बच्चों को दी जाये।
13. यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित कविता, भाषण, लघु नाटिका, रोल प्ले व चित्रकला आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं।
14. वरिष्ठ व ईमानदार बच्चों की निगरानी समिति वरिष्ठ अध्यापकों की देखरेख में गठित की जाए।
15. अभिभावकों को सलाह दे कि वे बच्चों को समय दें, उनसे लगातार संवाद करें, कहानी सुनाएं व अपने बच्चों के मित्रों के बारे में जानकारी रखें। अभिभावकों, बच्चों व अध्यापकों को बाल सुरक्षा कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों व स्कूलों में कानूनों

की जानकारी सम्बन्धी फलैक्स-बैनर आदि लगवाएं।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के साथ दुर्योगहार इस युग की अत्यंत दुखदायी वास्तविकता है। समाज जिस ढंग से अपने बच्चों के प्रति व्यवहार करता है उससे उस समाज की वास्तविकता की अभिव्यक्ति होती है। जब हम बच्चों के हितों का बेहतर ढंग से ख्याल रखते हैं तो संपूर्ण मानवता की सेवा कर रहे होते हैं। इसलिए प्रत्येक मुखिया का ये नैतिक कर्तव्य है कि विद्यालय का वातावरण ऐसा बनाएं जिसमें बच्चों के अधिकार सम्मानित हो, उनका कल्याण सुरक्षित हो: उनका जीवन भय-भार व विवशता से मुक्त हो और वे आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर अपना शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक विकास कर सकें।

Child Helpline
1098

संदर्भ सूची

- न्याय सबके लिए (**access to justice for all**) पब्लिशड बाय हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी प्लॉट नंबर 9 सेक्टर 14 पंचकूला
- **Dainik Bhaskar- Dainik Jagran patron ke lekh**
- बाल हस्त पुस्तिका
- लेखक के बाल कल्याण समिति के सदस्य रहते हुए प्राप्त अनुभव
- The Juvenile justice (care and protection of children) act, 2015 published by professional book publishers Delhi.
- The Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 published by professional book publishers Delhi.
- Protecting children from violence in school
- Cyber Safety for secondary school students by CBSE
- Cyber Safety for Adolescent by CBSE
- https://schooledn.py.gov.in/download/forms/Manual_School_Safety_Security.pdf
- Circular for Heads from CBSE | Must Read
- Learn Self-Defense

- [Self-Defense classes: Rape Aggression Defense System](#)
- [Helplines](#)

श्री सुरेश पाल जी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भमबोल, जिला यमुनानगर से प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त है। आपको 27 साल का गणित अध्यापन का अनुभव है एवं 6 साल प्राचार्य के तौर पर आपने अपनी सेवाएँ दी हैं। आप बाल कल्याण समिति यमुनानगर, के सदस्य रहे हैं। वर्तमान में आप Rule & Regulation Review Committee, HSEB भिवानी के सदस्य हैं। आप गणित, मनोविज्ञान, शिक्षा, योग और नेचुरोपैथी (3.5 वर्षीय) एवं प्राचीन इतिहास में स्नातकोत्तर हैं। साथ ही आपने 'Yoga and Human Consciousness' एवं 'फूड एण्ड न्यूट्रिशन' में डिप्लोमा भी किया है।

9416966421

sureshpal1331@gmail.com

निर्माणकर्ता

श्री सुरेशपाल

स्वरूपण एवं संपादन

डॉ. रजनी कुमारी

परामर्शदाता, SLA

SCERT, Haryana